डीजी परिपत्र संख्या- 08/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 12, 2020

प्रिय महोदय,

बैंक/ग्राहक सेवा केन्द्रों/सराफा व्यापारियों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि में दिन दहाड़े या असमय होने वाली लूट व लूट सहित हत्या एवं सड़क पर महिलाओं से चैन स्नैचिंग/छिनैती आदि की घटनाओं के घटित होने से एक ओर जनमानस में असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त होती है वहीं दूसरी ओर पुलिस की छवि एवं कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह् लगता है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में घटित हो रही लूट एवं हत्या की अधिकॉश घटनाओं में दो-पहिया वाहनो का प्रयोग किया गया है। अपराधियों द्वारा हाल ही में जो घटनाएं कारित की गई है उनमें भी ज्यादातर घटनाओं में दुपहिया वाहन पर बैठकर हथियारों से लैश होकर ऐसी गम्भीर घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

प्रदेश में ऐसे जघन्य अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही किये जाने एवं प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर से परिपत्र एवं निर्देश निर्गत किये गये है। जिनका समय-समय पर अनुशीलन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाना अपरिहार्य है।

प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्वेश्य से आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव/निर्देश निगर्त किये जा रहे हैं जो निम्नवत है:-

- प्रत्येक थाना प्रभारी अपने-2 थाना क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील मार्ग/स्थान जो अपराधियों के आवागमन हेतु उपयुक्त(ऐसे मार्ग जिनमें आवागमन/यातायात कम होता हो तथा जनपद क़ी सीमाओं को पार करते है) हों का चिन्हाकन किया जाये।
- चिन्हित किये गये स्थानों के आस-पास पुलिस मित्र एवं जनता के व्यक्तियों से सामन्जस्य स्थापित करते हुए अभिसूचना संकलन की दिशा में कार्यवाही की जाये एवं अपराधियों की गतिविधियों की अभिसूचना मिलने या उनके द्वारा घटना कारित कर भागने के मार्ग की जानकारी/संभावना पर उस मार्ग के पुलिस मित्रों को भी सचेत किया जाये ताकि अपराधियों के विषय में तत्काल लाभप्रद जानकारी मिल सके।
- अपराधियों के आवागमन के दृष्टिगत चिन्हित किये गये संवेदनशील स्थानों पर समय एवं स्थान को बदल-बदल कर चेकिंग करायी जाये।
- प्रत्येक थाने पर एक मोटर साइकिल दस्ता बनाया जाये जो ऐसे मार्गो पर संदिग्ध व्यक्तियों विशेष रूप से मोटर साइकिल पर सवार कम उम्र के लड़कों की चेकिग करते हुए चक्रमण करेगी। यह चेंकिग आवश्यकतानुसार समय व स्थान बदलकर की जायेगी। जिससे " Element of Surprise " रहे। इसे रूटीन चेकिंग के रूप में न लिया जाये।
- बैंकों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा सराफा बजारों आदि के आस-पास आने-जाने वाले मोटर साइकिलों पर कड़ी निगरानी रखेंगें।
- बैंकों/ग्राहक सेवा केन्द्रों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सराफा बाजार के आस-पास चेकिंग के समय यह भी ध्यान रखते हुये चेक किया जाये कि कोई वाहन काफी समय से बिना किसी कारण के खड़ा तो नही है।
- इसी प्रकार रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड के आस-पास के टैम्पों स्टैण्ड आदि की भी चेकिंग की जाये। चेकिंग का उद्वेश्य अपराधियों की पहचान एवं उनको पकड़ने का होना चाहिए।

- प्रायः मोटर साइकिल से लूट आदि की घटना कारित करने वाले अपराधी गलत नम्बर प्लेट अथवा अस्पष्ट नम्बर प्लेट का प्रयोग करते हैं ऐसे संदिग्ध वाहनों की प्रत्येक दशा में चेकिंग करते हुए वाहन का सत्यापन **"वाहन एप"** के माध्यम से किया जाये। इस एप के प्रयोग की जानकारी चेकिंग दस्ते के सभी अधिकारी/कर्मचारी को होनी चाहिए।
- चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन "त्रिनेत्र एप" के माध्यम से कराया जाये। चूकिं यह एप अभी मात्र प्रत्येक थाना प्रभारी/डीसीआरबी प्रभारी के पास उपलब्ध है अतः चेकिंग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर संदिग्धों की पहचान करेंगें।
- मोटर साईकिल से लूट आदि की घटनाएं कारित करने वाले अपराधी जो प्रकाश में आये हैं, उनकी वर्तमान स्थिति यथा जेल/जमानत पर हैं, पुनः अपराध में सक्रिय है उसका पता लगाया जाये साथही ऐसे अपराध कारित करने वाले जिन अपराधियों का गैंग प्रकाश में आता है, उनके विरूद्ध गैग चार्ट बनाकर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाय तथा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाये साथ ही ऐसे अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये ।

➢ <u>चेंकिग के समय बरती जाने वाली सावधानियोंः-</u>

- जब तक कोई विशिष्ट अथवा सत्यपरक सूचना प्राप्त न हो तब तक वृद्ध, बीमार एवं महिलाओं को अनावश्यक रूप से चेक न किया जाये।
- चेंकिग के समय शिष्ट व्यवहार किया जाये।
- जब तक चोरी की गाड़ी होने का गम्भीर संदेह न हो तब तक वाहन के कागजात को न चेक किया जाये। फिजीकल चेकिंग पर अधिक ध्यान दिया जाये।
- चेकिंग के दौरान एक या दो पुलिस कर्मी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगें।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने जनपदों में हत्या/लूट एवं चैन स्नैचिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम एवं ऐसे अपराधों मे दो पहिया वाहन के दुरूपयोग को रोकने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना स्थानीय स्तर पर तैयार करें एवं तद्नुसार चेकिंग, गाढ़ाबन्दी एवं नाकाबंदी आदि के माध्यम से प्रतिदिन स्थान एवं समय निर्धारित करते हुए कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त
   लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी
   उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।